प्रेस नोट–189/2026
दिनांक 04.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद भदोही/थाना भदोही</u>

- **50 हजार एवं 25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **22 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा**
- **1900/–रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.04.2026 को थाना भदोही व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फत्तूपुर पावर हाउस के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–कल्लू उर्फ अनवर उर्फ शहजादे 2–सोनू सहित अभियुक्त 3–राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 22 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा, 1900/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू उर्फ अनवर उर्फ शहजादे व अभियुक्त सोनू जनपद भदोही से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कल्लू उर्फ अनवर उर्फ शहजादे पर रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये व अभियुक्त सोनू पर जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त कल्लू उर्फ अनवर उर्फ शहजादे के विरूद्ध विभिन्न जनपदों में हत्या, लूट, डकैती, अवैध मादक पदार्थ तस्करी, गुण्डा एक्ट आदि के 69 अभियोग व अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद भदोही, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त राजू के विरूद्ध जनपद भदोही व कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों पर लूट, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भदोही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कल्लू उर्फ अनवर उर्फ शहजादे निवासी वार्ड नं0–2 अम्बेडकरनगर थाना सुरियावां जनपद भदोही।

2–सोनू निवासी मूलपता बहुता नेवादा थाना कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़ हालपता–अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना सुरियावां जनपद भदोही।

3–राजू निवासी मूलपता बहुता नेवादा थाना कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़ हालपता–अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना सुरियावां जनपद भदोही।

<u>बरामदगी</u>

1–22 किलो 360 ग्राम अवैध गांजा।

2–1900/–रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल।

<u>क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट कानपुर नगर</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.04.2026 को क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट कानपुर नगर की टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कलक्टरगंज, कमिश्नरेट कानपुर नगर पर पंजीकृत अभियोंग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शिवम निवासी मेमर्स अग्रवाल ब्रदर्स बिरहाना रोड कानपुर नगर।

जनपद मुरादाबाद/थाना कटघर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 किलो 700 ग्राम अवैध चरस**
- **लूटी गयी पीली धातु का आभूषण**
- **2500/–रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.04.2026 को थाना कटघर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–अमन 2–आसिफ को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 700 ग्राम अवैध चरस, लूटी गयी पीली धातु का आभूषण, 2500/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मूंढापाण्डेय जनपद मुरादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मूंढापाण्डेय पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार आसिफ के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कटघर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन निवासी ग्राम गोट थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

2–आसिफ निवासी ग्राम सक्टू नगला थाना मूंढापाण्डेय जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–01 किलो 700 ग्राम अवैध चरस।

2–लूटी गयी पीली धातु का आभूषण।

3–2500/–रूपये नगद।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद फतेहपुर /थाना ललौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय फतेहपुर द्वारा थाना ललौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि की सपठित धारा 34 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–सुलेमान 2–सद्दाम 3–हजरत को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर /थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25(1–बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गिरीश को आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––